




PROPOSED LAYOUT PLAN OF
"SIYARAM ENCLAVE"
AT VILLE- SIRSI, TEH.- JAIPUR, JAIPUR




खसरा क्षेत्रफल

S.NO	KHASRA NO.	RECORD AREA (IN HEC.)
1	1593/1	0.1138
2	1593/2	0.1138
TOTAL		0.2276


1850
B
9-5-23




योजना क्षेत्र का खसरा मानचित्र-



योजना क्षेत्र का पूरब मार्ग मानचित्र-



योजना क्षेत्र का दिशा सूचक-



योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग प्रस्तावित आवासीय योजना के भूखण्डों की गणना :-
आवासीय भूखण्ड- १४
व्यवसायिक भूखण्ड- ००
खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड- ०४

योजना क्षेत्र का भू-उपयोग व तकनीकी विवरण :-

क्र.सं	भू-उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.से)	प्रतिशत
1.	आवासीय	1261.95	55.45 %
2.	खुदरा व्यवसायिक	36.00	01.58 %
(A)	कुल क्षेत्रफल (1 TO 2)	1297.95	57.03 %
3.	हरित उद्यान	113.80	05.00 %
4.	टोस कवरा प्रबंधन	50.00	02.20 %
5.	जन सुविधा क्षेत्र	11.76	00.52 %
6.	रडक	802.49	35.25 %
(B)	कुल क्षेत्रफल (3 TO 6)	978.05	42.97 %
योजना क्षेत्रफल		2276.00	100.00%
प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का क्षेत्रफल		2276.00 व.मी.	

योजना का नाम :- PROPOSED LAYOUT PLAN OF
"SIYARAM ENCLAVE"
AT VILLEGE- SIRSI, TEH.- JAIPUR, JAIPUR

योजना विकास कर्ता :-

जोन संख्या = 12

स्केम = 1 : 250

योजनाकार :-
कैडमैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
एन.डी.ए. रोड, जयपुर, राजस्थान
कैडमैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
एन.डी.ए. रोड, जयपुर, राजस्थान
कैडमैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
एन.डी.ए. रोड, जयपुर, राजस्थान
कैडमैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
एन.डी.ए. रोड, जयपुर, राजस्थान

जयपुर विकास प्राधिकरण

- नोट
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 - आवेदित भूमि की 90% की कार्यवाही दिनांक 01.11.2022 को हो चुकी है।
 - योजना की भूमि में रा.भू.आ.वि.नियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - टाउनशिप वीलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 7, 8 कुल भूखण्ड 2 कुल क्षेत्रफल 164.97 वर्गमीटर है, जो जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के गेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुरू जना कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 390 वीं बैठक दिनांक 27.01.2023 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत मामीण है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवासीय दर्शित है।
 - योजना मानचित्र टाउनशिप वीलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर सैटलमेंट्स एवं सेटबैक जविप्रा (जयपुर राजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।
जान-12

1593
JDA APPROVED SCHEME
VAISHALI JEWELS

रश्मि रघु सहाय
27/1/2024

उप प्रमुख नियोजक
जान-12

तहसीलदार
जान-12

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

